न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 74/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/174

प्रार्थी:— बहादुरसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रूगडी तहसील रानी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :—
1. धीसुसिंह पुत्र सांवतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रूगडी ग्राम पंचायत सांवलता तहसील रानी जिला पाली
2. सरपंच/ग्राम सेवक जरिये ग्राम पंचायत सांवलता पंचायत समिति रानी, तहसील रानी जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :—
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित, भेराराम परिहार।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित।

—: निर्णय :—

दिनांक : 25/06/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सांवलता द्वारा मिसल संख्या 2/1972—73 दिनांक 25.11.1973 एवं उसकी पालना में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने बिना किसी आधारों के जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टा रास्ता एवं खातेदारी भूमि पर जारी किया गया। पट्टे के पडौस में भी कोई आबादी भूमि का अंकन नहीं है। ग्राम पंचायत से जैर निगरानी पट्टे के रेकर्ड में केवल मिसल प्राप्त हुई तथा मिसल में भी सम्पूर्ण प्रक्रिया में त्रुटि है। सांवलता सरपंच द्वारा पूर्व में भी फर्जी पट्टे जारी किये गये, जिसकी निगरानी पेश हो रखी है, जिसे खारिज किये गये। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियम में विहित प्रक्रिया की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से सिवायचक भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस उज्र किया कि अधिवक्ता प्रार्थी ने केवल मौखिक कथन किये, अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में जारी किया है, जो कि मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है। साथ ही पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए विधिसम्मत तरीके से ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। यदि ग्राम पंचायत ने जेर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में बैठक कार्यवाही रजिस्टर, पट्टा बुक उपलब्ध नहीं है तो इसमें अप्रार्थी का क्या दोष है। अप्रार्थी ने निर्धारित शुल्क जमा करवाकर, नियमानुसार पट्टा प्राप्त किया है। प्रार्थी बिना किसी आधारों के केवल अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से जेर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जेर निगरानी ग्राम पंचायत सांवलता द्वारा मिसल संख्या 2/1972-73 दिनांक 25.11.1973 एवं उसकी पालना में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने जेर निगरानी पट्टा आबादी भूमि से अन्यत्र रास्ते एवं खातेदारी भूमि पर जारी किया है। विपक्षी अधिवक्ता ने उक्त उज्र का खण्डन करते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत पंचायती राज नियमों के तहत ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में जेर निगरानी पट्टा जारी किया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने मौखिक कथनों के समर्थन में कोई भी साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये। इसके विपरीत ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड में मिसल के संलग्न भूमि निरीक्षण रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित है कि "क्या ऐसा विक्रय, जिसके लिये आवेदन किया गया है, ग्रामवासियों द्वारा उपयुक्त की जा रही, आने जाने की सुविधाओं को प्रभावित करेगा – नहीं। लिहाजा यह तो सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी जेर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि का नहीं है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसे कोई साक्ष्य नहीं जिससे यह जाहिर हो कि प्रश्नगत पट्टा खातेदारी भूमि में जारी किया गया है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन साबित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 256 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ नक्शा तैयार करने के व्यय पेटे दो रूपये की राशि जमा करानी होगी। इसके पश्चात नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जायेगा एवं नियम 258 के तहत मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा पंचों द्वारा "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधानं है। नियम 259 के तहत अस्थायी निर्णय करने एवं नियम 260 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 260 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधांन नियम 261 के तहत प्रदत्त हैं। नियम 262 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनविक्रय के प्रावधान है एवं नियम 264 के तहत नीलामी की प्रक्रिया उल्लेखित है व नियम 265 के तहत किये गये नीलाम की पुष्टि के प्रावधान है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण एवं भूमियों का निःशुल्क आंवटन के प्रावधान नियम 267 में उल्लेखित है। नियम 268 के तहत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हस्तान्तरण तथा आवंटन अनुमोदनाधीन एवं आबादी का विक्रय से अपवर्जन के प्रावधान नियम 269 में प्रदत्त है। किसी आबादी भूमि का नियम 263 के तहत भुगतान कर दिया जाने, नियम 265 नीलामी की पुष्टि करने और नियम 270 के अधीन कोई अपील नहीं होने की स्थिति में नियम 271 के तहत विक्रय–विलेख जारी किये जाने का प्रावधान है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 255 से 268 में विहित प्रावधानों के अनुरूप है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 256 के तहत कोई भी व्यक्ति जो पंचायत से कोई आबादी भूमि खरीदना चाहता है, पंचायत को लिखित में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें उस भूमि का ऐसा वर्णन होना चाहिए जो खरीदी जाने के लिए पर्याप्त हो। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 23.04.1972 को पट्टा जारी करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर प्रस्तावित भूमि के अडौस–पडौस का अंकन किया। नियम 256(2) के तहत नक्शा बनाने की राशि जरिये रसीद संख्या 84 दिनांक 23.04.1972 से जमा करवायी गयी। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 11.5.1972, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें नियम 257 के तहत सचिव को प्रश्नगत भूमि का नक्शा बनाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रश्नगत नक्शे में नियम 257(5) के तहत बेची जानी वाली भूमि की सीमाओं को लाल स्याही द्वारा बतलाई गई, जिस पर नक्शा बनाने वाले, सायल एवं सरपंच के हस्ताक्षर है। आदेशिका दिनांक 25.08.1972 के द्वारा नियम 258 के तहत मौका निरीक्षण हेतु तीन पंच नियुक्त किये गये, जिनके द्वारा नियम 258(2) "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया के अनुरूप है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य हैं।

हस्तगत प्रकरण में आदेशिका दिनांक 25.09.73 के द्वारा आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश दिये गये तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियम 260(1) की पालना में प्रपत्र 50 के तहत आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया एवं उपनियम (2) के तहत निर्धारित रिति से, ऐसे प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में आपत्तियां आमन्त्रित की गयी तथा उक्त आपत्ति इश्तिहार को चस्पा किया गया, जिसके प्रतीक स्वरूप दो गवाहों के हस्ताक्षर नोटिस की पुश्त पर उपलब्ध है। साथ ही प्रकरण में कब्जा सत्यापन हेतु दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बयान लिये गये, जिस पर उनके अगुंष्ठ निशान है। इसके पश्चात किसी भी व्यक्ति का कोई ऐतराज प्राप्त नहीं होने की दशा में ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

1961 के नियम 255 से 266 में निहित प्रावधानों की पालना की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को पंचायतीराज नियमों के तहत पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की पालना करते हुये प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। इस प्रकार जैर निगरानी मिसल एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधिसम्मत है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत मिसल एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत सांवलता द्वारा मिसल संख्या 2/1972–73 दिनांक 25.11.1973 एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को यथावत् रखा जाता हैं। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली